

# संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755.2427091

क्रमांक / टीसी / 57 / उपां / नग्रानि / 2012 भोपाल, दिनांक:- / / 2018  
प्रति,

1. कलेक्टर,  
जिला भोपाल (म.प्र.)।
2. आयुक्त,  
नगर निगम भोपाल (म.प्र.)।
3. संयुक्त संचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश,  
जिला कार्यालय, भोपाल (म.प्र.)।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत, भोपाल (म.प्र.)।

**विषय:-** भोपाल विकास योजना 2005 में उपान्तरण बाबत ।

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल ने भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण प्रस्तावित किया गया है । जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा रहा है ।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें ।

संलग्न :- यथोपरि

(स्वाति मीणा नायक)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म0प्र0 भोपाल

पृ.क्रमांक 1959 / टीसी / 57 / उपां / नग्रानि / 2012 भोपाल दिनांक:- 9/6/2018

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक/सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.) भोपाल को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

(स्वाति मीणा नायक)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म0प्र0भोपाल

AG/87

10/6

# संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कवनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016  
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755.2427091

## सूचना

भोपाल, दिनांक 09/4/2018

कमांक 958 57/उपां/टीसी/भोपाल/2012 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (कमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट भोपाल विकास योजना 2005 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।


## अनुसूची

| क्र० | ग्राम       | खसरा कमांक   | क्षेत्रफल (हेक्टर में) | विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग | उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग   |
|------|-------------|--|------------------------|------------------------------------|--|
| 1.   | 2.          | 3  | 4                      | 5                                  | 6                                      |
| 1.   | बरखेडी कलां | (108, 109/1),<br>(108, 109/2 क),<br>(108, 109/2 ख),<br>(122, 123, 124, 125/2/3),<br>(122, 123, 124, 125/2/2),<br>(122, 123, 124, 125/2/1ख),<br>(122, 123, 124, 125/3/1ख),<br>(122, 123, 124, 125/1ख),<br>135, 137,<br>138/1/3/1/1/1),<br>(120/3/1),<br>(134/2/4 क),<br>(120/2/1),<br>(134/1/1 क),<br>(134/2/2),<br>(134/2/3),<br>(134/2/1) | 4.787                  | कृषि                               | सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक (शैक्षणिक) |
|      |             | योग:-  | 4.787 हेक्टेयर         |                                    |  |

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्योरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय भोपाल तथा वेबसाईट [www.mptownplan.gov.in](http://www.mptownplan.gov.in) पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के सम्बंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश

जिला कार्यालय, भोपाल को, दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियों या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर संचालक द्वारा विचार किया जाएगा ।

  
(स्वाति श्रीणा नायक)  
संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
म0प्र0 भोपाल

## Directorate, Town and Country planning,

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal Madhya Pradesh

Email—[mptownplan@mp.gov.in](mailto:mptownplan@mp.gov.in), Phone No—0755.2427091

### Notice

Bhopal, Dated: 9/ 4/2018

No. 956 57/TC/Bhopal/2012:: In exercise of the powers conferred by Clause (b) of Sub section (i) of sub section 23-A of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973). The Director, hereby proposes the following modifications for public information in the Bhopal Development Plan, 2005 as specified in the schedule hereunder, namely :-


### SCHEDULE

| No | Village           | Khasara No.  | Area<br>(In<br>Ha.)  | land use<br>specified in<br>the<br>Develop-<br>ment plan | Proposed<br>Land use after<br>modifications |
|----|-------------------|--|----------------------|--|---|
| 1  | 2                 | 3  | 4                    | 5  | 6   |
| 1. | Barkhedi<br>Kalan | (108, 109 / 1),<br>(108, 109 / 2, A),<br>(108, 109 / 2 B),<br>(122, 123, 124, 125 / 2 / 3),<br>(122, 123, 124, 125 / 2 / 2),<br>(122, 123, 124, 125 / 2), 1B<br>(122, 123, 124, 125 / 3 / 1 B),<br>(122, 123, 124, 125 / 1 B),<br>(135, 137,<br>138 / 1 / 3 / 1 / 1 / 1),<br>(120 / 3 / 1),<br>(134 / 2 / 4 A),<br>(120 / 2 / 1),<br>(134 / 1 / 1 A),<br>(134 / 2 / 2),<br>(134 / 2 / 3),<br>(134 / 2 / 1) | 4.787                | Agriculture  | Public and<br>semi Public<br>(Educational)  |
|    |                   | <b>Total:-</b>   | <b>4.787<br/>Ha.</b> |  |   |

Details of the proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Joint Director, Town and Country Planning, District

Bhopal as well as on the web site [www.mptownplan.gov.in](http://www.mptownplan.gov.in), for a period of 15 days from the date of publication of this notice.

Any objection/suggestions with respect to the said modifications may be submitted by any person to the Director, Town and Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal or Joint Director, Town and Country Planning, District office Bhopal, in writing within a period of 15 days from the date of publication of this notice in the daily news papers and such objections and suggestions which may be received before the expiry of the period specified above will be considered by the Director .

  
( Swati Meena Naik )  
Director  
Town and Country planning  
Madhya Pradesh Bhopal